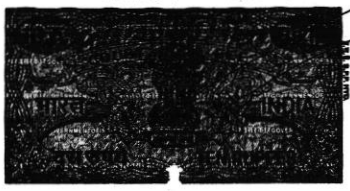

Rom ①
dr
10/11/17

(37)

माननीय राजस्वमण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

पुनरीक्षणसंख्या/- वर्ष 2017
न/निगरानी/टीकमगढ़/भू.अ./2018/0697

1- परमु रजक तनय भैरमा रजक
2/-सरमना अहिरवार तनय बुनआ अहिरवार
निवासीयान ग्राम ककरवाहा उपतहसील बडागांव धसान
तहसील व जिलाटीकमगढ म0प्र0 --------- आवेदकगण

बनाम

रहीश यादव तनय शिवदयाल यादव निवासी ग्राम पहाडी
उपतहसील बडागांवधसान तहसील व जिला टीकमगढम0प्र0
======= अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959
प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल बडागांव धसान
तहसील व जिला टीकमगढम0प्र0 दिनांक 8-6-2016 एवं 29-6-2016
जो कि प्रकरण क्रमांक 29/अ-12/2015-016 मे पारित किया गया ।

महोदय,

आवेदकगण अपनी पुनरीक्षण याचिका मे सादर निम्न विनय करते है :-

1/- यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार बताये गये है कि अनावेदक ने खसरानम्बर 1236, 1237, 1243 की भूमि का सीमांकन कराने हेतु कार्यवाही की गयी जिस पर से राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर सीमांकन की कार्यवाही करायी गयी और दिनांक 8-6-2016 को मौका स्थल पर सीमांकन व नापतौल की कार्यवाहीको जानाबताया गया जिसमे सीमांकन के दौरान खसरा नम्बर 1237 के अंश रकवा 0-202 हे0 पर अपीलार्थी परमु का कब्जा पाया गया जिसमे बोर है एवं खसरानम्बर 1236 के अंश रकवा पर अपीलार्थी सरमना का कब्जा पाया गया अपीलार्थी एक द्वारा सहमति दी गयी और उसके उपरांत अपीलार्थीगण द्वारा मौका पर लिखित मे आपत्ति पेश की गयी । उसके उपरांत आलोच्य आदेश पारित किया गया है जिस आदेश से व्यथित होकर निम्न आधारो पर यह निगरानी विधिसम्मत निराकरण हेतु प्रस्तुत की जारही है :-

आधार
========

1/- यह कि उक्त सीमांकन कार्यवाही के समय सही ढंग से नापतौल नही की गयी है और अपीलार्थीगण की जमीन के अंश भाग को 0 अनावेदक की भूमि बताकर अपीलार्थीगणका अनधिकृत कब्जाबताया गया है फिर भी अपीलार्थी एक ने सहमति दी थी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/697

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल बड़ागांव तह0 व जि0 टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 08.06.2016 एवं 29.06.2016 के विरुद्ध दिनांक 27.01.2018 को इस न्यायालय विलंब से पेश की गई है, जो कि अवधि वाह्य है। अवधि विधान की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अनिवार्य होता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अवधि वाह्य निगरानी प्रस्तुत करने के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 08.06.2016 को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति की जांच कार्यवाही एवं निराकरण हेतु दिनांक 29.06.2016 नियत की गई। राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त नियत दिनांक को यह करते हुए कि वरिष्ठ न्यायालय को जांच करने के लिए पत्र जारी करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है, अनावेदक की आपत्ति निरस्त की गई है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	